

XI योजना के साथ XII योजना स्कीमों की तुलना

घटक : परंपरागत क्षेत्रों में विकास समर्थन

मद	XI योजना में विद्यमान	XII योजना के लिए प्रस्तावित
पुनर्पण/ विस्तारण		
इकाई लागत	अरेबिका - .100,000 ₹/- हे. रोबस्टा - .70,000 ₹/- हे.	अरेबिका - 1,75,000/- ₹ रोबस्टा - 1,25,000/- ₹
उपदान	क) 2 हे. तक - 40% ख) 2 से 10 हे. तक - 30% ग) 10 हे. ज्यादा - 25% घ) कापरिटिक्स और कॉर्परिट्स पात्र नहीं।	ड) 2 हे. तक - 40% च) 2 से 10 हे. तक - 30% छ) 10 हे. ज्यादा - 25% ज) कापरिटिक्स और कॉर्परिट्स पात्र ।
जल आवर्धन		
औसतन इकाई लागत	86,000/- ₹	1,40,000/- ₹
उपदान	क) 20 हे. तक - 25% बशर्ते 1.50 लाख ₹ उपदान की सीलिंग ख) कापरिटिक्स और कॉर्परिट्स पात्र नहीं।	क) 20 हे. तक - 25% बशर्ते 2.50 लाख ₹ की ऊपरी सीमा ख) कापरिटिक्स और कॉर्परिट्स पात्र नहीं।
गुणता उन्नयन		
औसतन इकाई लागत	104,000/- ₹	1,60,000/- ₹
उपदान	क) 20 हे. तक - 20% बशर्ते 1.50 लाख ₹ उपदान की सीलिंग ख) कापरिटिक्स और कॉर्परिट्स पात्र नहीं।	क) 20 हे. तक - 20% बशर्ते 2.50 लाख ₹ की ऊपरी सीमा ख) कापरिटिक्स और कॉर्परिट्स पात्र नहीं।
पारिस्थितिकी-प्रमाण पत्र उपदान	--	एकैक उपजकर्ता/समूहों के लिए 50,000/- रुपए की अधिकतम उपदान के साथ प्रमाणीकरण की लागत का 50%.
प्रदूषण उन्मूलन		
औसतन इकाई लागत	क) निस्रव उपचार ईकाइयां - 110 ₹./क्यू.मी. बशर्ते 1.50 लाख ₹ उपदान की सीलिंग	क) पारि-पल्पर्स - 1500 कि.ग्रा. क्षमता/घण्टा के लिए 12 लाख ₹ ख) निस्रव उपचार प्लांट - 300 ₹ प्रति क्यू.मी.
उपदान	क) 20 हे. तक - 20% बशर्ते 1.50 लाख ₹ उपदान की सीलिंग ख) कापरिटिक्स और कॉर्परिट्स पात्र नहीं।	क) ई टी पी और पारि-पल्पर्स दोनों के लिए 40% बशर्ते 5 लाख ₹ उपदान की सीलिंग ख) कापरिटिक्स और कॉर्परिट्स पात्र ।
ब्याज उपदान		
उपदान :	शर्तों के अधीन कार्यशील पूंजी ऋणों पर 5%: i) 20 हे. तक - अरेबिका और रोबस्टा उपजकर्ताओं के लिए प्रति वर्ष क्रमशः 50,000/- ₹ और 40,000/- ₹ की सीलिंग के साथ और ; ii) ब्याज उपदान देने के बाद, ब्याज दर 7% से कम न हो।	शर्तों के अधीन कार्यशील पूंजी ऋणों पर 5%: i) 20 हे. तक - अरेबिका और रोबस्टा उपजकर्ताओं के लिए प्रति वर्ष क्रमशः 80,000/- ₹ और 60,000/- ₹ की सीलिंग के साथ और ; ब्याज उपदान देने के बाद, ब्याज दर 4% से कम न हो। पूरे XII योजना अवधि के लिए इस स्कीम का समय व्यय 30.00 करोड़ ₹ तक सीमित करना है। .

परिशिष्ट - IV

घटक : गैर परंपरागत क्षेत्रों में सी डी पी

मद	XI योजना में विद्यमान	XII योजना के लिए प्रस्तावित
विस्तारण	15,000/- ₹ हे	25,000/- ₹ हे. इकाई लागत का 25%
समेकन	--	15,000/- ₹ हैं.
गुणता उन्नयन क) बेकी पल्पर्स ख) सुखाने योग्य यार्ड ग) पारि-प्रमाण पत्र	इकाई लागत का 50% 20x20 फीट की इकाई हेतु Rs.5000/-	इकाई लागत का 50% इकाई लागत का 50% इकाई लागत का 75%
फार्म मशिनरी	--	इकाई लागत का 75%
मिश्रित छाँव नर्सरियों हेतु समर्थन	.2/- ₹ पौद	5/- ₹ प्रति पौद
बाजार समर्थन	--	इकाई लागत का 2/3

घटक : सी डी पी पूर्वोत्तर क्षेत्र में

मद	XI योजना में विद्यमान	XII योजना के लिए प्रस्तावित
विस्तारण	20,000/- ₹ हे.	35,000/- ₹ हे. इकाई लागत का 50%
समेकन	15,000/- ₹ हे.	20,000/- ₹ हैं.
समूह नर्सरियों के लिए समर्थन	.2/- ₹ प्रति पौद	5/- ₹ प्रति पौद
क्वालिटी उन्नयन क) बेबी पल्पर्स ख) सुखाने के ट्रे/यार्ड	इकाई लागत का 90%	इकाई लागत का 75%
जल आवर्धन	--	इकाई लागत का 75%
फार्म मशीनरी	--	इकाई लागत का 75%
बाजार समर्थन	12/- ₹ प्रति कि.ग्रा.	इकाई लागत का 75%
पारि-प्रमाणन	--	स्व स स एवं उपजकर्ता समष्टियों के लिए -इकाई लागत का 75%

घटक: कॉफी के लिए वृष्टि बीमा स्कीम		
मद	XI योजना में विद्यमान	XII योजना के लिए प्रस्तावित
10 हेक्टर तक के छोटे उपजकर्ता	50%	50%
अ.जा/अ.ज.जा छोटे उपजकर्ता (पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर)	--	60%
पूर्वोत्तर क्षेत्रों के उपजकर्ता	--	75%

घटक: कॉफी एस्टेट संक्रियाओं का मशीनीकरण		
मद	XI योजना में विद्यमान	XII योजना के लिए प्रस्तावित
20 हेक्टर तक के उपजकर्ता	50% बशर्ते 2.00 लाख ₹ की सीलिंग	50% बशर्ते 2.00 लाख ₹ की सीलिंग
20 हेक्टर से अधिक के बड़े उपजकर्ता	25% बशर्ते 4.50 लाख ₹ की सीलिंग	25% बशर्ते 4.50 लाख ₹ की सीलिंग
छोटे उपजकर्ता की स्व स स /समष्टियां	50% बशर्ते 5.00 लाख ₹ की सीलिंग	50% बशर्ते 5.00 लाख ₹ की सीलिंग

घटक: निर्यात संवर्धन		
मद	XI योजना में विद्यमान	XII योजना के लिए प्रस्तावित
इंडिया ब्रैण्ड्स के रूप में रिटेल पैक्स में मूल्य संवर्धित कॉफी के निर्यात के लिए प्रोत्साहन	2 ₹ प्रति कि.ग्रा.	3 ₹ प्रति कि.ग्रा.
उच्च मूल्य बाजारों को उच्च मूल्य की कॉफी के निर्यात हेतु प्रोत्साहन	1 ₹ प्रति कि.ग्रा.	2 ₹ प्रति कि.ग्रा.

घटक: बाजार विकास		
मद	XI योजना में विद्यमान	XII योजना के लिए प्रस्तावित
कॉफी विपणन के लिए छोटे उपजकर्ता समष्टियों /स्व स स/सहकारी संस्थानों को समर्थन	--	4 ₹ प्रति कि.ग्रा. इकाई मूल्य का 40%

घटक: मूल्य संवर्धन के लिए समर्थन		
मद	XI योजना में विद्यमान	XII योजना के लिए प्रस्तावित
आर एण्ड जी इकाइयों को समर्थन	1) एकैक उद्यमियों के लिए 1.0 करोड के अधिकतम निवेश पर 25% उपदान 2) स्व स स/महिला उद्यमियों के लिए 1.0 करोड ₹ के अधिकतम निवेश पर 40% उपदान।	1. 25 कि.ग्रा/घण्टा क्षमता से अधिक की इकाइयों के लिए 25% बशर्ते 50.00 लाख ₹ उपदान की सीलिंग। 2. 10 से 25 कि.ग्रा/घण्टा क्षमता के छोटे रोस्टर्स के लिए 35% उपदान बशर्ते 50.00 लाख ₹ की सीलिंग। 3. 10 कि ग्रा/घण्टा क्षमता से कम के विशिष्ट रोस्टर्स के लिए 35% उपदान बशर्ते 35.00 लाख ₹ उपदान की सीलिंग। 4. स्व स स/महिला उद्यमियों /अ जा/अ ज जा के लिए 40% उपदान, 50.00 लाख ₹ की सीलिंग के साथ ।
क्यूरिंग वर्क्स को समर्थन	--	मशीनरी की लागत पर 25% उपदान बशर्ते प्रति इकाई 50.00 लाख ₹ की सीलिंग ।

